

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**आदेश**

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

/पटना, दिनांक:-05/5/26

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्कीनिंग समिति की दिनांक-30.03.2026 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013, विभागीय पत्रांक-12402 दिनांक-13.12.2018, वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन0आर0ई0पी0 स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06, 07 एवं 08 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० सं० | कर्मचारियों का नाम/पदनाम/स्थिति, सेवानिवृत्त के कार्यालय का नाम/पूर्व से प्राप्त वेतनमान                                              | जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि | वरीय/कनीय लेखा लिपिक के पद पर योगदान की तिथि | सेवा सम्पत्ति की तिथि                                                                                                                                                                                                                | प्रथम सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान | द्वितीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान    | तृतीय सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3                              | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                              | 7                                                                                   | 8                                                                                 |
| 1        | श्री सुदेश्वर प्रसाद/सेवानिवृत्त कनीय लेखा लिपिक/कार्यपालक अभियंता, रथा0अ0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद                         | 10.09.1956<br>/<br>30.09.2016  | 06.02.1989                                   | वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय के आलोक में। | दिनांक-06.02.2001 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/-              | दिनांक-06.02.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4600 | कालावधि पूर्ण नहीं है।                                                            |
| 2        | श्री अशोक कुमार वर्मा/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज                 | 28.10.1965<br>/<br>31.10.2025  | 10.07.1987                                   | वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय के आलोक में। | दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/-              | दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4600 | दिनांक-10.07.2017 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4800 |
| 3        | श्री सजय कुमार वर्मा/सेवानिवृत्त कनीय लेखा लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1    | 17.01.1957<br>/<br>31.09.2013  | 28.01.1989                                   | वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय के आलोक में। | दिनांक-28.01.2001 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/-              | दिनांक-28.01.2008 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4600 | कालावधि पूर्ण नहीं है।                                                            |
| 4        | श्री इन्द्रजीत चौधरी/सेवानिवृत्त कनीय लेखा लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, सारण (छपरा) | 27.07.1959<br>/<br>31.07.2019  | 07.10.1983                                   | वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय के आलोक में। | दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/-              | दिनांक-07.10.2007 की तिथि से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान-5500-9000/-                   | दिनांक-07.10.2013 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4800 |

3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि, जो ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

7. यदि कर्मों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मों को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

*(Signature)*  
30.04.26

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

/पटना, दिनांक:- 05/5/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Signature)*  
30.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

/पटना, दिनांक:- 05/5/26

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Signature)*  
30.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

/पटना, दिनांक:- 05/5/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Signature)*  
30.04.26

अभियंता प्रमुख

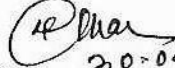
ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद/  
कार्य प्रमंडल, बेलसंड, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

/पटना, दिनांक:-05/5/26

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-08/2023 5440

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
20.04.26  
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-05/5/26

  
20.04.26  
अभियंता प्रमुख

9

Some of the most important things that we can do to help the environment is to recycle. Recycling helps to reduce the amount of waste that we produce and it also helps to conserve natural resources. There are many different ways to recycle, and it is important to make sure that we are doing it correctly. For example, we should not put food waste in our recycling bin, as this can contaminate the entire batch. We should also make sure that we are recycling the right materials, as some items are not accepted in most recycling programs.

Another important way to help the environment is to conserve energy. We can do this by turning off lights when we leave a room, unplugging electronics when we are not using them, and using energy-efficient light bulbs. We can also conserve water by taking shorter showers, fixing leaks, and using a water-saving toilet. These small changes can add up to a big difference in the amount of energy and water that we use, and that can help to reduce our carbon footprint.

Finally, we can help the environment by supporting sustainable products and companies. This means looking for products that are made from recycled materials, or that are made using sustainable practices. We can also support companies that are committed to reducing their environmental impact, or that are working to protect natural resources. By making these choices, we can help to create a more sustainable future for ourselves and for the planet.